न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी—श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या—52 / 2025
निर्णय दिनांक —30.04.2025
GCMS No.- 2025/00

सीता देवी पत्नी मनफुल जाति नायक निवासीनी कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)

................वादीनी

बनाम

1. मनरूप पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. सुखाराम पुत्र रामुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थित:—

1. श्री कैलाश गुलेरिया एडवोकेट वादी।
2. श्री रतनलाल साद प्रतिवादी संख्या 01 व 02।
3. प्रतिवादी संख्या 03 राज पैरोकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 02 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग का खेत खसरा संख्या 110 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, खसरा संख्या 138 तादादी 9.9769 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 10.0780 हैक्टेयर रोही ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वादगत भूमि में वादीनी का 77 / 797 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे हिस्सा नियत है व प्रतिवादी संख्या 01 का 680 / 797 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 40 / 797 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में नियत है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का खान—पान, लेन—देन, रहन—सहन सब अलग है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादीगत खेतों की संयुक्त खातेदारी का आपस में मौखिक रूप से विभाजन किया। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी के खेत ख.नं. 110 तादादी 0.1011 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खेत ख.नं. 138 मीन प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से से पश्चिमी ओर एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पूर्वी ओर बीच में 0.8726 हैक्टेयर रोही ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हिस्से—पांति खातेदारी भाई—बंटवारा में आई बीच में पुख्ता सींव कायम है, जो वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के मुताबिक मौखिक विभाजन कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में चले आ रहे है। वादगत खेतों की राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी अंकित होने से वादीनी को सरकारी लाभांस प्राप्त करने में भारी परेशानियां उठानी पड रही है, इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वो अपने संयुक्त खातेदारी भूमि का मौखिक विभाजन के मुताबिक विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार के आधार पर कराये, जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

यह है कि वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 से दिनांक 05.04.2025 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि का मौखिक विभाजन के मुताबिक विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने साफ इंकार कर दिया, इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वो अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम पृथक खातेदारी अंकित करवाकर लगान का विभाजन करायें, जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

यह है कि वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन का है। वादगत खेत ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, इसलिए वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व राजीनामा पेश हुआ। बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीनी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा राजीनामा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

खसरा 110 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, खसरा संख्या 138 तादादी 9.9769 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 10.0780 हैक्टेयर रोही ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक राजीनामा वादीनी उतने हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक राजीनामा वाद वादीनी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 110 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, खसरा संख्या 138 तादादी 9.9769 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 10.0780 हैक्टेयर रोही ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक राजीनामा पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। राजीनामा तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
वइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

सीता देवी बनाम मनरूप आदि
दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु
मुकदमा न0 52 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–व–रु ....
हाजरी श्री कैलाश गुलेरिया एड, .मिनजानिव मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिवमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 110 तादादी 0.1011 हैक्टेयर, खसरा संख्या 138 तादादी 9.9769 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 10.0780 हैक्टेयर रोही ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक राजीनामा पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। राजीनामा तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बावत ....खर्चा
इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज
की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 04 2025

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर वावतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।